रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022024-252224
CG-DL-E-19022024-252224

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 15, 2024/माघ 26, 1945
No. 678]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2024/MAGHA 26, 1945

रेल मंत्रालय

(उत्तर रेलवे)

(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2024

का.आ. 714(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1620(ई), तारीख 31 मार्च 2023 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 31 मार्च 2023 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्व अधिसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, दिल्ली राज्य के बिजवासन में विशेष रेल परियोजना अर्थात् बिजवासन के फ्राईट एवं कोचिंग टर्मिनल के विकास हेतु घोषणा की गई थी ।

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात्, दैनिक जागरण एवं द इण्डियन एक्सप्रेस तारीख 14 सितम्बर 2023 में तथा संशोधित गजट अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया था ।

और जबकि, इस कार्यालय में डायरी संख्या 63758 दिनांक 27.09.2023, डायरी सं. 67188 दिनांक 19.10.2023 एवं डायरी संख्या 67189 दिनांक 19.10.2023 द्वारा आपत्ति प्राप्त हुई थी जिसे सी.ए.एल.ए. द्वारा आदेश संख्या ADM/LAC/SW/2023-24/8556 दिनांक 27.01.2024 के माध्यम से खारिज कर दिया गया एवं डायरी संख्या 84154 दिनांक 22.12.2023 को आपत्ति प्राप्त हुई थी जो नियत तिथि के बाद होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था ।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी,

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

दिल्ली राज्य के दक्षिण पश्चिम जिला में विशेष रेल परियोजना अर्थात बिजवासन में फ्राईट एवं कोचिंग टर्मिनल के विकास हेतु कार्य अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरणः–

क्र. सं.	जिला / राज्य	तहसील / तालुका	ग्राम एवं हदबस्त सं./ मुस्तील	खसरा सं.	भूमि अर्जन हेतु भूमि का क्षे. (बीघा–बिस्वा)
1	दक्षिण पश्चिम जिला, दिल्ली	कापसहेडा	भरथल	51//24	4-16
2				52//4/2	1-10
3				52//26/1	0-6
4				52//4/1	3-0
				Total=	**9-12** (0.8075 hectare)

[फा. सं. 190-W/Land/Misc/CSB-I(Kapasheda)]

ए. के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(Northern Railway)

(CONSTRUCTION ORGANIZATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2024

S.O. 714(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways, number. S.O. 1620 (E), dated 31 March' 2023 issued under sub section (1) of the Section 20 A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Development of Freight and Coaching Terminal at Bijwasan in the state of Delhi.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely Danik Jagran & Indian Express dt. 14 Sept.2023 and revised gazette notification published on 10 October 2023, under sub section (4) of section 20 A of the said Act.

And whereas, objection was received in this office vide diary no. 63758 dt. 27.09.2023, 67188 dt. 19.10.2023 and 67189 dt. 19.10.2023 same has been dismissed by CALA vide order No. ADM/LAC/SW/2023-24/8556 dated 27.01.2024. And objection received vide Diary No. 84154 dt. 22.12.2023, being time barred, was rejected.

And whereas, pursuance of section (1) of section 20-E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Govt.

Now therefore, upon receipt of the report of the competent authority and in the exercise of the power conferred by sub section (1) of section 20-E of the said act the Central Govt. hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further in pursuance to sub section (2) of section 20-E of the said act the Central Govt. hereby declares that on publication of this notification in official gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the District-South West of Delhi for special Railway project namely Development of Freight & Coaching Terminal at Bijwasan.

S.N.	Name of District/State	Name of Tehsil/Taluka	Name of Village/Hadbast No./Musteel	Khasra No.	Area to be acquired in Bigha-Biswa
1	District-South West, Delhi	Kapeshera	Bharthal,	51//24	4-16
2				52//4/2	1-10
3				52//26/1	0-6
4				52//4/1	3-0
				Total=	**9-12** **(**0.8075 hectare)

[F. No. 190-W/Land/Misc/CSB-I(Kapasheda)

A. K. SINGHAL, Chief Administrative Officer/Const.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. AMIT KUMAR JAISWAL